

कार्यालय

पुलिस

अधीक्षक

बांदा

- ❖ अवैध कच्ची देशी शराब महुआ की निष्कर्षण व बिक्री करने वाले अभियुक्त को थाना नरैनी पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार । अभियुक्त के कब्जे से 28 लीटर अवैध कच्ची देशी शराब महुआ, लगभग 01 कुन्तल लहन व शराब बनाने के उपकरण बरामद ।

विवरण-पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री करने वाले अभियुक्तों पर कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 28/29.04.2024 की रात्रि को थाना नरैनी पुलिस को रात्रि गश्त एवं चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना नरैनी क्षेत्र के ग्राम पोंगरी से एक अभियुक्त को उसके घर से अवैध कच्ची देशी शराब महुआ की निष्कर्षण करते समय गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे अवैध देशी कच्ची शराब महुआ, भारी मात्रा में लहन व शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए है ।

बरामदगी-

- 28 लीटर अवैध कच्ची देशी शराब महुआ
- 01 कुन्तल लहन (लगभग)
- शराब बनाने के उपकरण

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. लालमुनी आरख पुत्र रामसनेही निवासी पोंगरी थाना नरैनी जनपद बांदा ।
पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 100/24 धारा 60(2) आब0अधि0 थाना नरैनी जनपद बांदा

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 श्री सन्त प्रसाद चौकी प्रभारी करतल
2. कां0 नरेन्द्र कुमार
3. कां0 रोहित रजक
4. कां0 किदारीलाल
5. कां0 विवेक कुमार